

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0 03, शाहजहाँपुर।

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं0-02/2018

सत्र परीक्षण सं0-221/2012

राज्य बनाम कलीम खॉ।

धारा-307,504 भारतीय दण्ड संहिता।

थाना-सदर बाजार।

**05.11.2019**

दाण्डिक प्रकीर्ण पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी।  
पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन पर पाया गया कि प्रस्तुत पत्रावली  
प्रार्थना पत्र 3ख अर्थ दण्ड की धनराशि प्राप्त करने हेतु लम्बित है,  
किन्तु विगत कई तिथियों से उक्त प्रार्थना पत्र पर बल देने हेतु  
कोई उपस्थित नहीं हो रहा है और न ही स्थगन प्रार्थना पत्र  
प्रस्तुत किये जा रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र 3ख अदम पैरवी में  
निरस्त किये जाने योग्य है।

#### **आदेश**

प्रार्थना पत्र 3ख अदम पैरवी में ख़ारिज किया जाता है।  
दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं0-02/2018 नियमानुसार दाखिल दफ्तर  
हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,  
कक्ष सं0 03, शाहजहाँपुर।